न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 41/2025 ई.रे. दिनांक 30.10.2025

1— नानुसिंह पिता बाबरू मीणा निवासी मरावदीया तहसील बड़ीसादड़ी
2— डालकीबाई पत्नी बाबरूसिंह मीणा निवासी मरावदीया तहसील बड़ीसादड़ी
3— अन्नु पिता रतन मीणा निवासी मरावदीया तहसील बडीसादड़ी

— प्रार्थीगण

बनाम

1— सुरेश पिता मांगुसिंह मीणा निवासी मरावदीया तहसील बडीसादडी
2—. सुगणा पत्नी सुरेश मीणा निवासी मरावदीया तहसील बडीसादडी
3— राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादड़ी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री नरेश दत्त जोशी वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश::—

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि —

खाता संख्या नया 35 की आराजी नम्बर 342 रकबा 0.6100 हैक्टेयर बजड 2 लगानी 1.22 रू आराजी नम्बर 343 रकबा 0.5000 हैक्टेयर बजड 2 लगानी 1.00 रू कुल किता 2 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर कुल लगानी 2.2200 रूपये वाके मौजा कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर वारिसान होकर खातेदार रिकार्ड काश्तकार है। वादीगण का उक्त आराजीयात में पृथक—पृथक 1/3 — 1/3 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज हो दर्ज रिकार्ड है। वादीगण अपने बाहमी बटवाडे में आये हिस्से पर अपने पूर्वजों के समय से काबीज होकर काश्त करता चले आ रहा है।

वादग्रस्त आराजीयात रोड के दोनो तरफ स्थित होकर उक्त आराजीयात के मध्य में रोड निकला हुआ है तथा वादीगण की उक्त आराजीयात रोड के दोनों तरफ स्थित हो वादीगण कई वर्षो से उक्त आराजीयात का उपयो उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ग्राम मरावदीया का निवासी हो कर वादीगण से एवं वादीगणी आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है तथा प्रतिवादीया प्रतिवादी 1 की पत्नी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में मौके अनाधिकृत रूपये आनन फानन में निवं खोद कर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर नया निर्माण कर मकान का निर्माण करने पर अमादा होकर मौके पर मकान का निर्माण कर रहे है । तथा वादीगण को उनके खातेदारी काश्त के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा कर मकान बनाकर आराजीयात पर [illegible] कर आरजीयात को हडपना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 को रोकने हेतु [illegible] किये मगर प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात मे कब्जा करने पर अमादा है। वादी [illegible] उक्त नया निर्माण कार्य रोकने हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय में रिपोर्ट भी दर्ज कराई परन्तु प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं।

उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण नये मकान का निर्माण कर वादीगण की अपनी जमीन से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:49:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

करने पर अमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरीए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें की वे वादीगण की आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे न करावें तथा उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार से कोई कब्जा न करे न करावें। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा आराजी पर शान्तिंपूर्वक काबीज होकर काश्त कर रहा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टीया केश प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी का के पक्ष मे है यदि विपक्षीगण को जरीए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ती किसी भी तरह से सम्भव नही हो सकेगी इसलिए विपक्षीगण को जरीए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरीए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें की व प्रार्थनापत्र में वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें की वे प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे न करावें। न किसी तरह उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर कब्जा करे न करावें।

वकील प्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण खातेदार है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णय :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजी नं. 342, 343 कुल किता 2 रकबा 1.1100 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे न करावें। न किसी तरह उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर कब्जा करे न करावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:49:03 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी